भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1914

(जिसका उत्तर सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया)

मध्य प्रदेश में कंपनियों द्वारा सीएसआर का अनुपालन

1914. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी कंपनियां कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित कंपनी अधिनियम की धारा 135 का अनुपालन कर रही हैं और स्थानीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दे रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश में अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने सीएसआर नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई नया उपाय तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, इस अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का व्यापक ढांचा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की धारा 135(5) के प्रथम परंतुक में इस बात का प्रावधान है कि कंपनी स्थानीय क्षेत्र एवं उन क्षेत्रों, जहां वह प्रचालन कर रही है, को वरीयता देगी। तथापि, स्थानीय क्षेत्रों पर जोर दिया जाना सिर्फ निदेशात्मक स्वरूप का है, अधिदेशात्मक नहीं और कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को राष्ट्रीय क्षेत्र की वरीयता के साथ संतुलित किए जाने की आवश्यकता है। इसे दिनांक 25.08.2021 के सामान्य परिपत्र सं. 14/2021 के तहत जारी सीएसआर से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उनके संबंध में निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए अधिकृत है।

जारी...2/-

कंपनियों द्वारा एमसीए 21 रजिस्ट्री में सीएसआर से संबंधित फाइल किए गए सभी आंकड़े www.csr.gov.in पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। एमसीए21 रिजस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में व्यय की गई सीएसआर निधि का ब्यौरा अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(घ): अनिवार्य प्रकटन, सीएसआर समिति तथा बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान इत्यादि जैसे मौजूदा विधिक प्रावधानों सहित कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा इस संबंध में सुरक्षोपाय प्रदान करता है। जब कभी भी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की सम्यक जांच और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। पूर्व में, सीएसआर से संबंधित चूकें प्रशमनीय अपराध होती थीं। अब तक, 366 मामलों में अभियोजन की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इनमें से प्रशमन हेतु 155 मामले दायर किए गए हैं तथा 105 मामलों को प्रशमित कर दिया गया है। साथ ही, सीएसआर प्रावधानों के गैर-अनुपालन को दिनांक 22 जनवरी, 2021 की प्रभावी तिथि से एक सिविल दोष के स्वरूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ङ): इस अधिनियम की धारा 135, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 के तहत संशोधित की गई थी। इन संशोधनों में अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण का प्रावधान किया गया था तथा सीएसआर प्रावधानों के गैर-अनुपालन को दिनांक 22 जनवरी, 2021 की प्रभावी तिथि से एक सिविल दोष बना दिया गया। साथ ही, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में भी संशोधन किया गया था, जिससे और अधिक उद्देश्यपरकता, पारदर्शिता लाकर, बोर्ड को और अधिक जवाबदेही सौंपकर एवं कंपनियों द्वारा किए जाने वाले प्रकटन में वृद्धि के द्वारा सीएसआर ईकोसिस्टम सुदृढ़ हो गया है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 14.03.2022 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1914 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2016-17 से 2020-21 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय (रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	खर्च की गई राशि वित्त वर्ष 2016-17	खर्च की गई राशि वित्त वर्ष 2017-18	राशि खर्च किया वित्त वर्ष 2018-19	खर्च की गई राशि वित्त वर्ष 2019-20	खर्च की गई राशि वित्त वर्ष 2020-21	कुल राशि
1	अंडमान और निकोबार	0.83	0.76	0.82	1.29	2.26	5.95
2	आंध्र प्रदेश	753.53	578.22	668.72	720.62	588.67	3,309.76
3	अरुणाचल प्रदेश	24.05	12.23	24.56	18.02	6.42	85.29
4	असम	269.92	213.59	210.22	288.49	160.78	1,143.00
5	बिहार	100.81	107.72	140.14	144.16	56.29	549.13
6	चंडीगढ़	21.99	20.55	11.95	15.72	7.20	77.41
7	छत्तीसगढ़	84.94	176.94	150.30	261.61	283.14	956.94
8	दादरा और नगर हवेली	7.58	7.04	13.48	19.12	7.02	54.23
9	दमन और दीव	2.63	20.23	6.25	9.69	3.13	41.93
10	दिल्ली	521.16	637.88	815.20	936.04	839.65	3,749.93
11	गोवा	37.89	55.94	49.46	48.53	32.53	224.34
12	गुजरात	870.84	983.77	1,091.79	995.60	1,168.19	5,110.19
13	हरियाणा	390.07	369.84	381.41	528.81	398.45	2,068.58
14	हिमाचल प्रदेश	24.03	69.98	81.25	82.10	98.59	355.94
15	जम्मू एवं कश्मीर	42.84	51.76	36.55	25.54	33.82	190.51
16	झारखंड	95.69	110.18	112.35	156.52	188.35	663.10
17	कर्नाटक	887.68	1,161.68	1,280.24	1,483.54	966.62	5,779.77
18	केरल	135.47	227.21	444.12	305.04	321.10	1,432.94
19	लक्षद्वीप	-	3.27	0.39	1.00	-	4.66
20	मध्य प्रदेश	290.60	166.39	255.84	216.48	273.88	1,203.19
21	महाराष्ट्र	2,492.11	2,833.41	3,206.84	3,426.79	2,646.46	14,605.62
22	मणिपुर	12.35	4.81	7.81	14.21	6.28	45.46
23	मेघालय	10.97	13.20	18.12	19.74	8.71	70.74
24	मिजोरम	0.08	1.48	0.11	0.25	0.49	2.41
25	नागालैंड	0.92	1.81	2.14	5.10	2.98	12.96
26	ओडिशा	316.73	505.62	690.77	752.43	495.72	2,761.26
27	पुडुचेरी	7.43	6.63	9.15	11.40	10.44	45.04
28	पंजाब	75.83	114.11	167.86	192.05	95.16	645.01
29	राजस्थान	327.05	445.20	603.84	735.05	454.08	2,565.22
30	सिक्किम	6.83	7.46	5.87	12.72	13.85	46.73
31	तमिलनाडु	550.94	687.96	900.36	1,110.15	749.03	3,998.44
32	तेलंगाना	259.88	385.48	440.07	451.92	343.38	1,880.73
33	त्रिपुरा	1.25	1.88	23.06	9.40	8.20	43.79
34	उत्तर प्रदेश	328.31	442.30	524.46	584.59	680.24	2,559.90
35	उत्तराखंड	102.52	86.47	178.19	128.64	113.10	608.93
36	पश्चिम बंगाल	290.35	360.45	386.69	454.87	316.98	1,809.34
37	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	7.63	153.27	4.74	31.66	176.71	374.01
38	पैन इंडिया *	4,990.68	6,070.93	7,218.07	10,664.97	8,802.30	37,746.94
	कुल योग (करोड़ में)	14,344.40	17,097.66	20,163.18	24,863.84	20,360.25**	96,829.32

(31.12.2021 तक के आंकड़े) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

* कंपनियों ने या तो राज्यों के नामों को निर्दिष्ट नहीं किया या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया है जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

** वित्त वर्ष 2020-21 के लिए डाटा परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि देर से फाइल करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने में 15.03.2022 तक की छूट दी गई है।

******